

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार द्वारा अपने दावे के समर्थन में जमा किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप

### जाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती\*/कुमारी\* \_\_\_\_\_, श्री  
\_\_\_\_\_ के पुत्र/पुत्री\* हैं, जो गाँव/शहर\* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, जिला/प्रभाग\* \_\_\_\_\_, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र\*  
\_\_\_\_\_ के निवासी हैं। ये \_\_\_\_\_

जाति/जनजाति\* से संबंध रखते हैं, जिसे निम्नलिखित के तहत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति\* के रूप में मान्यता दी गई है:

#### निम्नलिखित के अंतर्गत:

- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
- संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951

*(अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन आदेश) 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित)*

- संविधान (जम्मू एंड कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 *(अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित)*
- संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
- संविधान (पाँडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967
- संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
- संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991

2. \*\* यह प्रमाण पत्र श्री / श्रीमती / कुमारी\* \_\_\_\_\_ के पिता / माता\* श्री / श्रीमती\* / कुमारी\* \_\_\_\_\_ को जारी किए गए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया गया है, जो राज्य / संघ राज्य क्षेत्र \_\_\_\_\_ के जिला / प्रभाग \_\_\_\_\_ के गाँव / शहर \_\_\_\_\_ के निवासी हैं, और जो उस जाति / जनजाति\* से संबंध रखते हैं जिसे \_\_\_\_\_ राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति\* के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसे प्राधिकारी \_\_\_\_\_ द्वारा दिनांक \_\_\_\_\_ को जारी किया गया था।

3. श्री / श्रीमती / कुमारी\* \_\_\_\_\_ और / या\* उनका परिवार  
सामान्यतः \_\_\_\_\_ राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के \_\_\_\_\_ जिला / प्रभाग के  
गांव / शहर\* \_\_\_\_\_ में निवास करता है ।

हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

पदनाम: \_\_\_\_\_

(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र: \_\_\_\_\_

\* कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं ।

\*\* यह केवल उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के मामलों में लागू होता है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे राज्य में चले गए (प्रवासन कर गए) हैं।

**नोट:** यहाँ प्रयुक्त शब्द सामान्यतः (ऑर्डिनरिली) का वही अर्थ होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में परिभाषित है ।

### जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी

निम्नलिखित अधिकारियों को जाति प्रमाणपत्र जारी और सत्यापित करने के लिए अधिकृत किया गया है -----

1. जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डिप्टी कमिश्नर / अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट / उप-विभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
2. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।
4. उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहाँ उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है ।
5. राजस्व विभागीय अधिकारी - तमिलनाडु की अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में।
6. प्रशासक / प्रशासक के सचिव / विकास अधिकारी (लक्षद्वीप द्वीप समूह)।